

जाति प्रमाण-पत्र

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के उम्मीदवारों द्वारा
अपने दावे केन्द्रों में प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण-पत्र

अप्र. 145 / दि. 27-5-99

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी. यू. स. बड़गुजर
सुपुत्र श्री दयाराम खैरेल निवासी ग्राम गौनेडा
जिला जयपुर डिवीजन जयपुर राज्य राजस्थान
समुदाय के सदस्य है जो कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम
जाति (सूचि) संशोधन अधिनियम 1956 संविधान अष्टमान निकोवा अनुसूचित आदिम जाति आदेश
1956 के अंतर्गत एक अनुसूचित जाति आदिम जाति मानी जा चुकी है श्री पी. यू. स. बड़गुजर
और इसका परिवार साधारणतः नगर गौनेडा राज्य संघ क्षेत्र
राजस्थान के जिला जयपुर के निवासी है।

आज दिनांक 27-5-99 को यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षर तथा इस न्यायालय की मोहर
से जारी किया गया।

(खैरेल अनुसूचित जाति)
(डि. ८)

तहसीलदार
हस्ताक्षर तहसील कोटगुली निगुली
पद

कार्यालय की मोहर

राज्य संघ राज्य क्षेत्र

नोट—यहाँ प्रयोग साधारणतः निवासी का शब्द वही होगा जो कि रिप्रजेंटेशन आफ पीपुल्स एक्ट 1956
की धारा 20 में है।